पंचायत निगरानी संख्या : 72 / 2024

उनवान : नरेश उर्फ नेकाराम बनाम ग्राम पंचायत लुणावा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

नये नम्बर	गत नम्बर
पंचायत निगरानी संख्या : 72 / 2024	पंचायत निगरानी संख्या : 52 / 2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 86	जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022 / 113

प्रार्थी :–

नरेश उर्फ नेकाराम पुत्र दौलाजी उर्फ दौलाराम जाति जणवा चौधरी निवासी लुणावा तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ग्राम पंचायत लुणावा, तहसील बाली जिला पाली राज.
2. मगाराम पुत्र दौलाजी उर्फ दौलाराम जाति जणवा चौधरी निवासी लुणावा तहसील बाली जिला पाली राज.
3. दौलाजी उर्फ दौलाराम पुत्र मेगाराम जाति जणवा चौधरी निवासी लुणावा तहसील बाली जिला पाली राज.
4. सोनीदेवी पत्नी दौलाजी उर्फ दौलाराम जाति जणवा चौधरी निवासी लुणावा तहसील बाली जिला पाली राज.
5. पवनी पत्नी पकाराम पुत्री दौलाजी उर्फ दौलाराम जाति जणवा चौधरी निवासी कोटबालियान तहसील बाली राज.
6. छोगी पत्नी सुजाराम पुत्री दौलाजी उर्फ दौलाराम जाति जणवा चौधरी निवासी फालना गांव तहसील बाली जिला पाली राज.
7. मोटाराम पुत्र दौलाजी उर्फ दौलाराम जाति जणवा चौधरी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 72/2024
उनवान : नरेश उर्फ नेकाराम बनाम ग्राम पंचायत लुणावा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

निवासी लुणावा तहसील बाली
जिला पाली राज.

8. बाबुलाल पुत्र दौलाजी उर्फ दौलाराम जाति जणवा चौधरी निवासी लुणावा तहसील बाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत लुणावा बखिलाफ पट्टा संख्या 29, बुक संख्या 18 मिसल संख्या 121/2012–13 जारी दिनांक 31.01.2013 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विरमदेव सिंह सोनीगरा।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री भारत परिहार।
3. अप्रार्थी संख्या 02 व 08 की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार।

–:निर्णय:–

दिनांक: 13.03.2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **ग्राम पंचायत लुणावा बखिलाफ पट्टा संख्या 29, बुक संख्या 18 मिसल संख्या 121/2012–13 जारी दिनांक 31.01.2013 को निरस्त करवाने बाबत्** पेश की गई निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 मगाराम पुत्र दौलाजी चौधरी निवासी लुणावा के नाम से ग्राम पंचायत लुणावा द्वारा पट्टा संख्या 29, बुक संख्या 18 मिसल संख्या 121/2012–13 दिनांक 31.01.2013 को जारी किया गया है, उसके विरुद्ध प्रार्थी की ओर से यह निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई:–

1. यह है कि गैरसायलान अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में ग्राम पंचायत लुणावा द्वारा पट्टा संख्या 29, बुक संख्या 18 मिसल संख्या 121/2012–13 दिनांक 31.01.2013 को जारी किया गया है उक्त राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) तहत जारी होना बताया है जिसमें मिसल संख्या 121/2012–13 अंकित की गई है। यह है कि ग्राम पंचायत की सरपंच अशिक्षित महिला होने के कारण इसका फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या दो मगाराम ने ग्राम सचिव के साथ मिलकर पट्टा अपने नाम से जारी करवा दिया। ग्राम पंचायत की ओर से कोई विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना अप्रार्थी संख्या दो के साथ मिलावट कर यह पट्टा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में जारी कर दिया, जबकि अप्रार्थी संख्या दो का यहा कभी किसी प्रकार का हक एवं कब्जा नहीं रहा।
2. यह है कि जिस स्थान का पट्टा ग्राम पंचायत लुणावा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में जारी किया गया, उस भाग पर दौलाजी उर्फ दौलाराम जी चौधरी का सालों–साल से कब्जा, हक एवं स्वामित्व चला आ रहा है। जहां वे अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 72/2024
उनवान : नरेश उर्फ नेकाराम बनाम ग्राम पंचायत लुणावा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

3. यह है कि अप्रार्थी संख्या तीन के जांयदा चार पुत्र एवं दो पुत्रिया है। जिसमें मगाराम, मोटाराम, नरेश उर्फ नेकाराम एवं बाबुलाल पुत्रगण दौलाजी और पवनीदेवी, छोगी पुत्रिया दौलाजी है। जो सभी इसी मकान में पले बडे हुए है और सभी की शादिया भी इसी घर से हुई है। जहां दौलाजी अपनी पत्नी सोनी देवी एवं बच्चों के साथ निवास करते रहे है।
4. यह है कि अप्रार्थी संख्या तीन के बच्चे बड़े होने के बाद सभी खाने कमाने एवं रोजगार के लिए राजस्थान के बाहर जाकर कामकाज कर अपना जीवनयापन करने लगे और दौलाजी ने अपनी दोनो पुत्रियों की शादी कर दी वे अप अपने ससुराल में रह रही है
5. यह है कि सभी भाई बाहर रहते थे और लुणावा में दौलाजी और उनकी पत्नी सोनीदेवी रहते थे। अप्रार्थी संख्या दो मगाराम का अक्सर घर आता जाता रहता था। कभी कभी गांव में लम्बे समय यहा रुकता था तथा खेतीबाडी का हिसाब किताब भी रखता था सभी भाई प्रेमभाव से रहते थे, लेकिन बाद में अप्रार्थी संख्या नियत में कुछ खोट आने लगी और वह दौलाजी के मकान दबाने की नियत रखने लगा, जिसके बाद परिवार में विवाद हो गया, इसके लिए फिर दिनांक 16.05.2008 में समाज के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में पारिवारिक बंटवाडा लिखा गया। जिसमें उक्त मकान चारों भाई का झगडा खत्म करवाया गया, जिसमें तीन भाईयों ने मिल मोटाराम को पंचों और रिश्तेदारों के निर्णय अनुसार राजीनामा कर पैसे दिए। इसके बाद मोटाराम दूसरी जगह रहने लगा, बाकि यहां पर ही रहते थे।
6. यह है कि उसके बाद प्रार्थी वापस अपने कारोबार के सिलसिले में वापस मुम्बई चला गया तथा उसके बाद मगाराम गांव में ही रहने लगा और उसके बाद उसने कहा कि यह मकान अपना दो रख लेते है और बाबुलाल को उसकी कीमत पांच लाख रुपये दे देते है वह तैयार है। अब प्रार्थी लुणावा आया तो गांव के कुछ लोगों के सामने अपने हिस्से के ढाई लाख रुपये भी दे दिये। इसके बाद उसने अप्रार्थी संख्या दो मगाराम पर भरोसा कर मकान बनाने के लिए दस लाख रुपये दिये लेकिन उसने कुछ काम नहीं करवाया और बाद में प्रार्थी ने अपना पैसा लगाकर उक्त प्लॉट के आधा भाग पर अपना मकान बनाया जहां पर उसके माता-पिता और जब भी मुम्बई से यहां आता तो निवास करता है।
7. यह है कि प्रार्थी ज्यादातर समय बाहर रहता है तो इस बात का फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या दो ने ग्राम सचिव लुणावा के साथ मिलकर बाले बाले में पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना पट्टा अपने नाम से बना लिया, जो काबिल निरस्त करने योग्य है। क्योंकि वहां पर वर्ष 2008 तक तो दौलाजी उर्फ दौलाराम की हक हकूक निर्विवाद कब्जा एवं स्वामित्व चला आ रहा था। बाद में बच्चों की शादिया होने के बाद विवाह होने लगा तो रिश्तेदारों और जणवा समाज के पंचों ने राजीनामा कर बंटवाडा किया था
8. यह है कि प्रार्थी बंटवारे के अपने हिस्से पर अपना मकान बना लिया और आज भी उस पर प्रार्थी का कब्जा है, लेकिन अप्रार्थी संख्या दो के नियत में खोट आने के कारण उससे गलत तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत से एक मात्र अपने नाम का पट्टा जारी करवा दिया जो पूर्णतया सुसंगत नहीं है इसलिए काबिल खारिज होने योग्य है।
9. यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार का कोई पट्टा जारी किये जाने से पूर्व नियमानुसार पुश्तैनी सम्पति से जुडे व्यक्ति नोटीस देना आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया मौका निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की होती है तो उसके बाद पंचायत द्वारा अपनी मीटिंग अन्तरिम निर्णय कर आपत्ति इश्तिहार जारी किया जाता है तथा किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त होने पर उसका निस्तारण कर पट्टा जारी किये जाने का निर्णय किया जाता है किन्तु विधि के उक्त आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

पंचायत निगरानी संख्या : 72 / 2024
उनवान : नरेश उर्फ नेकाराम बनाम ग्राम पंचायत लुणावा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

बगैर उक्त संकल्प एवं पट्टा जारी किया गया है, जिस कारण उक्त संकल्प व उसके आधार पर जारी पट्टा विधि विरुद्ध होने से कारण काबिल निरस्त होने योग्य है।

10. यह है कि ग्राम पंचायत की मिसल में भी उक्त मकान के कब्जा बाबत पुश्तेनी होने का जिकर किया गया है तो स्वतः ही सिद्ध करता है कि उक्त भुखण्ड पर दौलाजी का कब्जा एवं अधिकार रहा है।
11. यह है कि ग्राम पंचायत की पत्रावलियों का अवलोकन करने पर स्वतः सिद्ध होता है कि अप्रार्थी संख्या दो का आवेदन ग्राम सचिव के द्वारा ही लिखा गया है। तथा पत्रावली में मगाराम के हस्ताक्षर भी विभिन्न है। जो स्वयं यह सिद्ध करता है कि पट्टा पूर्ण मिलावट कर बिना विधिक प्रक्रिया के जारी किया गया है।
12. यह है कि ग्राम पंचायत की ओर से जारी इस पट्टे की मिसल पत्रावली एवं प्रस्ताव पर भी वार्डपंच सदस्यों हस्ताक्षर नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली बिना वार्डपंचों और मनमाने ढंग से निष्पादित की गई है। जो केवल और केवल अप्रार्थी संख्या दो को नाजायज तौर पर लाभ पहुंचाने की नियत से सरपंच और सचिव ने पुश्तैनी सम्पति का एक व्यक्ति के नाम से पट्टा जारी किया है जो विधि विरुद्ध होने के कारण काबिल निरस्त होने योग्य है।
13. यह है कि उपरोक्त वाक्यात एवं हालात की पृष्ठ भूमि में स्पष्ट है कि उक्त संकल्प एवं पट्टा गैर कानुनी तौर पर व फर्जी तरीके से तत्कालीन सरपंच के अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाते हुए जारी किया गया है, जिस कारण उक्त संकल्प व उसके काबिल निरस्त होने योग्य है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर जैर निगरानी संकल्प एवं पट्टा विधि विरुद्ध जारी होने से निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थीगण संख्या एक, दो एवं आठ की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड पूर्व में ही तलब होकर शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 व 08 ने आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:–

1. यह कि याचिकाकर्ता अप्रार्थी संख्या तीन दौलाजी उर्फ दौलाराम पुत्र मेघारामजी का पुत्र है याचिकाकर्ता ने निगरानी के जरिये जैर आलोच्य पट्टा संख्या 29 से संबंधित विवादित भूखण्ड मकान को याचिकाकर्ता ने रेस्पोडेण्ट संख्या तीन का अभिकथित किया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता ग्राम लुणावा के पट्टा संख्या 29 बुक संख्या 18 मिसल संख्या 121/2012–2013 दिनांक 31.01.2013 को ग्राम पंचायत लुणावा द्वारा जारी किया गया है, से व्यथित पक्षकार नहीं है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को जैर आलोच्य पट्टा निगरानी प्रस्तुत करने का लोकस स्टेण्डाई नही है।
2. यह कि याचिकाकर्ता ने तथाकथित दिनांक 16.05.2008 के पारिवारिक बंटवाडा का याचिका में उल्लेख किया है। याचिका के साथ सलंग्न तथाकथित बंटवाडा पर्याप्त स्टाम्प एवं पंजीयन के अभाव में साक्ष्य में ग्राहय नहीं है।
3. यह कि प्रार्थी को जैर आलोच्य निगरानी याचिका से सम्बन्धित भूखण्ड मकान के सम्बन्ध में किसी भी पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर स्वामित्व अधिकारों का सृजन नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी की निगरानी याचिका कानूनन पोषणीय नही है।
4. यह कि निगरानी याचिका के जरिये जैर आलोच्य पट्टा संख्या 29 दिनांक 31.01.2013 के विरुद्ध प्रार्थी ने निगरानी याचिका दिनांक 29.05.2022 को यानि की करीब नौ वर्ष

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

बाद प्रस्तुत की है। जबकि प्रार्थी को शुरु से पट्टा संख्या 29 दिनांक 31.01.2013 की जानकारी थी क्योंकि प्रार्थी अप्रार्थी संख्या दो व आठ का सगा भाई है।

5. यह कि प्रार्थी ने निगरानी याचिका के साथ उचित एवं पर्याप्त कारणों के समावेश के साथ धारा 05 मर्यादा अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार प्रार्थी की निगरानी याचिका अवधि बाधित होने से याचिका काबिल खारिज है। अतः अप्रार्थी संख्या दो व आठ की ओर से उजर/आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी याचिका सव्यय खारिज फरमावें।

काबिल अधिवक्ता याचीपक्ष ने वक़्त बहस निगरानी याचिका में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूखण्ड प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता श्री दौलाराम चौधरी का पुश्तैनी भूखण्ड है जो कि हस्तगत निगरानी में अप्रार्थी संख्या तीन के रुप में संयोजित है तथा रहवासी भूखण्ड पर श्री दौलाराम के चारो पुत्रों का समान हक़ हकूक है, जो कि आपसी बंटवारा लिखत दस्तावेज दिनांक 16.05.2008 से स्पष्ट है। किन्तु अप्रार्थी संख्या दो श्री मगाराम पुत्र दोलाराम द्वारा उक्त रहवासी भूखण्ड का पट्टाविलेख अकेले अपने हित में निष्पादित करवाया गया, जो प्रारम्भतः ही शून्य होने से काबिल खारिज है।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या दो एवं आठ ने उपरोक्त तर्कों का प्रतिकार/खण्डन करते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि जैर निगरानी आलोच्य संकल्प एवं पट्टा विलेख के विरुद्ध निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी 'हितबद्ध पक्षकार' नहीं है। प्रार्थी के कथनानुसार यदि प्रश्नगत भूखण्ड उनके पिता श्री दोलाराम चौधरी का तथाकथित पुश्तैनी स्वामित्व का भूखण्ड है, तो अप्रार्थी संख्या तीन श्री दोलाराम चौधरी उक्त भूखण्ड के पट्टा विलेख को चुनौति देने हेतु हितबद्ध पक्षकार हो सकते है किन्तु प्रार्थी किसी भी स्थिति में हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता। यह भी, कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अचल सम्पति का आपसी बंटवाडा पंजीबद्ध नहीं होने से इस न्यायालय में साक्ष्य के रुप में ग्राहय नहीं है। ऐसे अपंजीकृत बंटवारे की वैधता एवं अधिकारिता के सम्बन्ध में निर्णयन हेतु सिविल न्यायालय ही सक्षम न्यायालय है। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने यह भी ज़ाहिर किया कि विचाराधीन निगरानी याचिका लगभग नौ वर्ष के असामान्य विलम्ब उपरान्त प्रस्तुत की गई है तथा प्रार्थी द्वारा न तो उक्त विलम्ब का कोई कारण स्पष्ट किया है और न ही विलम्ब अवधि के उपशमन हेतु परिसीमा अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया है, अतः विचाराधीन निगरानी याचिका खारिज फरमाई जाए।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या दो एवं आठ ने अपने तर्कों की पुष्टि में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये:-

1. 2022 (1) RRT 218
2. 2009(2)RRT 867
3. 2017(1) CT (Raj) 234
4. 2015 (1) WLC (SC) 398
5. 2016(1) RJT 212
6. 2021 (1) RRT 336
7. 2024 (1) RRT 653

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 72/2024
उनवान : नरेश उर्फ नेकाराम बनाम ग्राम पंचायत लुणावा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ ग्राम पंचायत लुणावा वक़्त बहस हाजिर नहीं। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई, तर्कों पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत लुणावा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो श्री मगाराम पुत्र दौलाराम चौधरी के पक्ष में प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 29.01.2013 पारित करते हुए जेर निगरानी आलोच्य भूखण्ड का राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत पट्‌टा विलेख संख्या 29 (मिसल संख्या 121/2012–13) दिनांक 31.01.2013 निष्पादित किया गया। प्रार्थी श्री नेकाराम उर्फ नरेश ने उक्त प्रस्ताव एवं पट्‌टा विलेख की वैधता को इस निगरानी याचिका के माध्यम से प्रमुखतः इस आधार पर चुनौति दी है कि विवादित रहवासी भूखण्ड प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो के पिता तथा अप्रार्थी संख्या तीन के रुप में संयोजित श्री दौलाराम चौधरी का पुश्तैनी हक़ हकूक व कब्जाधीन भूखण्ड है तथा उनके पुत्र अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अकेले स्वयं के नाम आलोच्य पट्‌टा विलेख निष्पादित करवाया गया जबकि श्री दोलाराम चौधरी के प्रार्थी सहित तीन अन्य पुत्र भी है। प्रार्थी द्वारा इसकी पुष्टि हेतु एक अपंजीकृत बंटवारा दिनांक 16.05.2018 की मूल प्रति प्रस्तुत की गई। यद्यपि अप्रार्थी संख्या दो एवं आठ ने इस तर्क का खण्डन नहीं किया है कि उक्त भूखण्ड प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता श्री दौलाराम चौधरी (अप्रार्थी संख्या तीन) का पुश्तैनी भूखण्ड है। किन्तु उनके द्वारा यह आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि हस्तगत निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की पूर्वापेक्षा में 'हितबद्ध पक्षकार' की श्रेणी में नहीं आता है। साथ ही अपंजीकृत बंटवारा विलेख इस न्यायालय में साक्ष्य के रुप में ग्राह्य नहीं है।

अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त आपत्ति के सन्दर्भ में धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों का उद्धरण समीचीन है:–

"राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्हीं भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और, यदि किसी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्यच या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी,

परन्तु राज्य सरकार किसी भी पक्षकार पर प्रतिकुल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं करेगी जब तक ऐसे पक्षकार को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न मिल गया हो।"

(2) राज्य सरकार किसी भी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश के निष्पादन पर, उसके सम्बन्ध में उप धारा (1) के अधीन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने तक, रोक लगा सकेगी।

(3)राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति से प्राप्त किसी आवेदन पर, किसी भी समय, उप धारा (1) के अधीन आदेश पारित किये जाने के नब्बे दिन के भीतर–भीतर ऐसे किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी यदि वह उसके द्वारा किसी भूलवश जो, चाहे तथ्य की हो या विधि की, या किसी तात्विक तथ्य की अज्ञानतावश, पारित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

पंचायत निगरानी संख्या : 72/2024
उनवान : नरेश उर्फ नेकाराम बनाम ग्राम पंचायत लुणावा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

किया गया हो। उप धारा (1) के परन्तुक और उप धारा (2) में अंतर्विष्ट इस उप धारा के अधीन कार्यवाहियों पर लागू होंगें।

अर्थात् राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के उपबन्धान्तर्गत निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु याचिकाकर्ता का 'हितबद्ध व्यक्ति' होना एक आज्ञापक पूर्वशर्त के रुप में उपबन्धित है। हस्तगत निगरानी याचिका के माध्यम से प्रार्थी ने प्रश्नगत भूखण्ड को उनके पिता एवं अप्रार्थी संख्या तीन श्री दोलाराम चौधरी की पुश्तैनी सम्पति होने तथा स्वयं को भी दौलाराम चौधरी का पुत्र होने के आधार पर आलोच्य संकल्प तथा पट्टा विलेख को चुनौति दी है। यद्यपि अप्रार्थी संख्या तीन श्री दोलाराम चौधरी ने न्यायालय में न तो उपस्थिति दी है और न ही प्रार्थी के दावे के समर्थन में कोई कथन ही किया है। किन्तु यदि याचिकाकर्ता के उक्त तर्क को स्वीकार भी कर लिया जाए तो भी पुश्तैनी हक़ हकूक के आधार पर उक्त अप्रार्थी संख्या तीन अर्थात श्री दौलाराम चौधरी 'हितबद्ध व्यक्ति' हो सकते है। पिता के जीवित रहते उनकी पुश्तैनी आबादी भूमि में प्रार्थी द्वारा अपने जिन अधिकारों को आधार बनाया गया है, उन अधिकारों की उदघोषणा व निर्धारण हेतु सिविल न्यायालय ही सक्षम न्यायालय है तथा प्रार्थी के पक्ष में सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा जब तक ऐसी कोई डिक्री या आदेश पारित नहीं हो जाता, तब तक प्रश्नगत विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में प्रार्थी को 'हितबद्ध पक्षकार' मानने की उपधारणा नहीं की जा सकती है। इस सम्बन्ध में, प्रार्थी द्वारा जिस आपसी बंटवाडा लिखित दिनांक 16.05.2008 की मूल प्रति प्रस्तुत की है, उक्त दस्तावेज अपंजीकृत होने के कारण इस न्यायालय में साक्ष्य के रुप में ग्राह्य नहीं है। ऐसे अपंजीकृत दस्तावेज की वैधता तथा इससे उद्भूत होने वाले किन्हीं अधिकारों की उपधारणा करने हेतु भी सिविल न्यायालय ही सक्षम है। इस सम्बन्ध में इस न्यायालय को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

सारांशतः, अप्रार्थी संख्या दो एवं आठ द्वारा प्रस्तुत यह आपत्ति सिद्ध पायी जाती है कि प्रार्थी हस्तगत निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु 'हितबद्ध व्यक्ति' नहीं माना जा सकता। प्रार्थी प्रश्नगत भूखण्ड में अंपजीकृत बंटवारा दस्तावेज दिनांक 16.05.2008 के आधार पर सिविल अधिकारों की उद्घोषणा हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र रहें। अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त भी हस्तगत प्रकरण में पूर्णतः चस्पा पाये गए।

अतः राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के प्रावधानान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी याचिका खारिज की जाती है। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत लुणावा को पुनर्प्रेषित किया जाए।

निर्णय आज दिनांक **13.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली